मैसर्स शक्ति सीडस प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

डिप्टी कमिश्नर (सीटी) और अन्य

30 मई, 2007

(डॉ0 अरिजीत पसायत व लोकेश्वर सिंह पंत, न्यायाधिपतिगण)

आन्ध्रप्रदेश सामान्य बिक्री अधि0 1957 जीओएमएस सं- 604 दिनांक 09.04.1981 - छूट के लिए आवश्यकता - निर्णीत: याचिकाकर्ता को यह साबित करना था कि प्रश्नगत बीज या तो प्रमाणित बीज था या सही ढंग से लेबल/पैकिंग किये गये थे स्पष्टीकृत मेमोरेण्डम दिनांक 26.04.1994.

अपीलार्थी - निर्धारिती कृषि बीज, मिर्च, धान व अन्य फसलों का एक पंजीकृत विक्रेता है। वाणिज्यक कर अधिकारी ने 14.02.1989 को आन्ध्रप्रदेश सामान्य बिक्रीकर अधिनियम 1957 के अधीन जीओएमएस का लाभ देने वाले टर्नओवर के संबंध में मूल्यांकन आदेश पारित किये।

उपायुक्त ने उक्त मूल्यांकन आदेश को संशोधित कर दिया तथा उन सभी वस्तुओं पर प्रस्तावित कर लगाया जैसा कि अपीलार्थी ने उक्त वस्तुऐं

अपंजीकृत विक्रेताओं से क्रय की थी और विक्रेता आन्ध्रपदेश राज्य के भीतर प्रथम खरीददार के रूप में कर देने के लिए उत्तरदायी है।

अपील पर अधिकरण ने निर्णीत किया जीओएमएस संख्या 604 दिनांक 09.04.1981 में छूट का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता को यह स्थापित तथा साबित करना था कि प्रश्नगत बीज प्रमाणित बीज होकर सही व ठीक ढंग से लेबल लगे हुए थे और अपीलकर्ता/विक्रेता छूट देने के लिए दोनों शर्तों को स्थापित करने के लिए कोई संतोषजनक सामग्री व सबूत पेश करने में असफल रहा।

उच्च न्यायालय ने अधिकरण के आदेश को पुष्ट कर दिया। इस प्रकार आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने निर्णीत किया-

1- अधिकरण इस विचार पर बढा कि छूट के लिए पात्रता के उद्देश्य से बीजों को प्रमाणित और ठीक ढंग से लेबल किया जाना आवश्यक था। दिनांक 26.04.1994 के स्पष्टीकरण ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि दो विकल्प उपलब्ध थे या तो प्रमाणित या ठीक ढंग से लेबल किये गये। उच्च न्यायालय ने भी स्पष्टीकरण ज्ञापन की अनदेखी की, ऐसी परिस्थितियों में अधिकरण के लिए विकल्प प्रदान करने वाले स्पष्टीकरण ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करना उचित

होगा। पक्षकारान नये साक्ष्य पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। अपीलार्थी को यह प्रकट करने के लिए साक्ष्य पेश करना होगा कि बीजों को ठीक ढंग/सही प्रकार से लेबल किया गया था। ऐसा कोई रिक्त संरक्षण नहीं है कि दावे की स्वीकार्यता के बारे में संतुष्ट होने के लिए उन्हें आवश्यकता है कि वे इस बात की सफाई दे कि उक्त दावे में वे छूट के हकदार है।

गुरूराज सीडस (प्रा0) लि0 बनाम आन्ध्रपदेश राज्य व अन्य 18 एपीएसटीजे 46 को संदर्भित किया गया।

सिविल अपील के क्षेत्राधिकार - सिविल अपील नंबर 4649/2002

आन्ध्रपदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के कर पुनरीक्षण वाद संख्या 156 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 10.09.2021 के विरुद्घ।

कुणाल वर्मा, एम मेनन, सी.एस.एन. मोहनराव, अर्जुन गर्ग एवं आर. श्रीवास्तव - अपीलकर्ता की ओर से।

मनोज सक्सेना, रजनीश के. सिंह, राहुल शुक्ला एवं टी.बी.जार्ज - प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

न्यायमूर्ति अरिजीत पासायत -

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा आन्ध्रपदेश उच्च न्यायालय के डिवीजन बैंच द्वारा पारित पुनरीक्षण याचिका खारिज की गयी जो अपीलार्थी द्वारा आन्ध्रपदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1954 की धारा 22(1) के अन्तर्गत दायर की थी एवं उच्च न्यायालय के समक्ष बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण आन्ध्रपदेश (संक्षेपत न्यायाधिकरण) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गयी।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं -

मैसर्स शक्ति सीडस (प्रा0) लि0 अपीलार्थी जो कि एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है और वे कृषि बीजों, मिर्च, धान, सूरजमुखी और अन्य फसलों के विक्रेता हैं जो अधिनियम के अन्तर्गत एक निर्धारिती और पंजीकृत विक्रेता हैं। निर्धारण वर्ष सन 1992-93 के टर्न ओवर के संबंध में छूट प्रदान करने के लिए जीओएमएस संख्या 604 दिनांक 09.04.1981 एवं जीओएमएस संख्या 129 रीवि (सीटी II) दिनांक 14.02.1989 के अंतिम मूल्यांकन आदेश वाणिज्यिक कर अधिकारी हैदरगुढा सर्कल हैदराबाद द्वारा जारी किये गये। किन्तु आबिद विभाग हैदराबाद उपायुक्त (सीटी) ने वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से किये गये मूल्यांकन की जांच कर 16.12.93 की प्रक्रिया में पाया कि अपीलार्थी अपंजीकृत विक्रेताओं द्वारा मिर्च, धान और सूरजमुखी खरीदने के बाद उन वस्तुओं को ''प्रमाणित और सही ढंग से लेबल किये गये बीज'' के रूप में बेचा तथा

उसी आधार पर जीओएमएस संख्या 604 रेवेन्यू (एस) दिनांक 09.04.1981 के संदर्भ में छूट का दावा किया इसलिए वे मूल्यांकन आदेश को संशोधित करने के लिए आगे आये तथा उन वस्तुओं पर कर का प्रस्ताव रखा, जिनकी उन्होंने अपंजीकृत विक्रेताओं से खरीद फरोख्त की और इसीलिए वे आन्ध्रपदेश राज्य के भीतर प्रथम खरीददारों के रूप में कर/टैक्स के लिए उत्तरदायी हैं। उपायुक्त (सीटी) के समक्ष अपीलार्थी ने तर्क दिया कि वे जीओएमएस संख्या 604 दिनांक 09.04.1981 के संबंध में बीजों को प्रमाणित बीज एवं ठीक ढंग से लेबल किये जाने पर वे छूट के हकदार हैं। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में गुरूराज सीडस (प्रा0) लि0 बनाम आन्ध्रपदेश व अन्य के निर्णय पर भरोसा जताया।

उपायुक्त (सीटी) ने अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार किया और वाणिज्य कर अधिकारी हैदरगुढा हैदराबाद के द्वारा निर्मित निर्धारण आदेश को संशोधित कर दिया, तब अपीलार्थी द्वारा मामला अधिकरण के समक्ष ले जाया गया। अधिकरण की राय है कि जीओएमएस संख्या 604 दिनांक 09.04.1981 के अन्तर्गत छूट का दावा करने के लिए दावेदार को यह स्थापित व साबित करना चाहिए कि प्रश्नगत बीज प्रमाणित बीज होने के साथ साथ सही ढंग से लेबल किये हुए बीज हैं और अपीलार्थी विक्रेता जीओएमएस के संदर्भ में छूट देने के लिए दो शर्तों को स्थापित करने के लिए कोई संतोषजनक सामग्री और साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

अत: अपने आदेश दिनांक 13.03.2000 द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

अधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गयी कि अधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि जीओएमएस के तहत छूट अभिप्राप्त करने के लिए दोनों शर्तें एक साथ सहअस्तित्व में होनी चाहिए। इस प्रकार जीओएमएस संख्या 604 की गलत व्याख्या की गयी है। अधिकरण का दृष्टिकोण पूर्णतया सरकार द्वारा अपने ज्ञापन संख्या 13630/सी टी-11 (2) 89-19 दिनांकित 26.04.1994 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण की अनदेखी करता है। उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि प्रमाणित बीज तथा सही ढंग से लेबल किये गये बीज दोनों ही जीओएमएस के संदर्भ में छूट के हकदार हैं। उक्त संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया कि विभाग अपीलकर्ता - विक्रेता से लेबलिंग के संबंध में घोषणा की सटीकता या सत्यता के संबंध में सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं थी।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा।

4 इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट/प्रत्यर्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्राधिकरण, अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्षों का समर्थन किया।

5 प्रमाणित व सही ढंग से लेबल बीजों के संबंध में अधिकरण का तर्क इस प्रकार है-

कवकनाशी के उपचार के संबंध में, यह कहा गया है कि सभी कवकनाशी प्रमाणित व सही ढंग से लेबल किये गये नहीं होते हैं, क्योंकि साधारण व उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध बीजों का भी बीज व भविष्य के नुकसान को रोकने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा कवकनाशी उपचार किया जाता है और भविष्य में अंकुरित ऐसे बीजों को फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए उपचार किया जाता है। इसके अलावा कुछ समय के बाद भी खाद्य उद्देश्य के लिए उक्त उपचारित बीजों का उपयोग करने पर प्रतिबंध है, जिन पर इस तरह के कवकनाशी का कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं है।

6. अपीलार्थी को जारी किये गये ''कारण बताओ'' नोटिस के जवाब में स्पष्ट किया कि -

इस संदर्भ में हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि हमने प्रसंस्कृत मिर्च बीज, धान बीज और सूरजमुखी के बीज किसानों से खरीदे हैं और न

कि मिर्च, धान व सूरजमुखी वस्तुऐं। उपर उद्धृत बीज यथा मिर्च बीज, धान बीज तथा सूरजमुखी बीज प्रसंस्कृत किया जा चुके हैं। कवकनाशी से उपचार किया गया है तथा हमारे द्वारा पैकिंग सामग्री का उपयोग करते हुए पैक किया गया है एवं हमारे ब्राण्ड नाम ''शक्ति'' के अन्तर्गत सही ढंग से लेबल कर बेचा जाता है। इसके अलावा उक्त बीज केवल कृषि उददेश्य के लिए थे न कि भोजन, चारा या तेल के उददेश्य के लिए नहीं थे। जबकि उनका उपचार कवकनाशी से किया जाता था। सभी बीज पहले केवल उन किसानों से खरीदे जाते थे जो अपंजीकृत विक्रेता हैं।

7. इन पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया गया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण के सार की दृष्टि खो दी है।

8 जीओएमएस सं. 604 दिनांक 09.04.1981 निम्न प्रकार से है-

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कृषि उददेश्यों के लिए प्रमाणित व सही ढंग से लेबल किये गये सभी किस्मों के बीजों की खरीद व बिक्री आन्ध्रपदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1957 (ए पी एक्ट 1957 का 6) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत आन्ध्रप्रदेश के राज्यपाल द्वारा देय कर से छूट प्राप्त है।

प्रमाणित व सही ढंग से लेबल बीजों की बिक्री अन्तर्राज्यीय वाणिज्यिक व्यापार के दौरान भी सी एस टी से छूट प्राप्त है।

9 स्पष्टीकरण ज्ञापन संख्या 13630/सी.टी. - 11 (2)/89-19 दिनांकित 26.04.1994 निम्न प्रकार है -

सरकार ने दिनांक 09.04.1981 को जीओएमएस संख्या 604 राजस्व (एस) विभाग के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए सभी प्रकार के प्रमाणित व सही ढंग से लेबल किये गये बीजों के क्रय विक्रय हेतु ए.पी. जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से छूट देने के लिए आदेश जारी किये। दूसरे सरकारी आदेश में सी.एस.टी. के तहत एक समान आदेश जारी किया गया था जो अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान बेची गयी उपरोक्त वस्तुओं के संबंध में भी है।

आन्ध्रपदेश बीज उत्पादक व्यापारियों और नर्सरीमैन संघ हैदराबाद, राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली, पेडडी रेडडी थिम्मा रेडडी फार्म फाउन्डेशन हैदराबाद ने आप सरकार को प्रतिनिधितव दिया है कि भले ही उपरोक्त राजकीय आदेशों द्वारा देय कर में छूट दोनों श्रेणियों के बीजों यथा प्रमाणित बीज और सही ढंग से लेबल किये गये बीजों पर लागू होती है तथापि कुछ मूल्यांकन अधिकारीगण इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देय कर में छूट के पात्र बनने के लिए बीजों को प्रमाणित होने के साथ साथ सही ढंग से लेबल किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार से अनुरोध किया गया कि यह अस्पष्टता दूर करने के मामले में स्पष्टीकरण जारी करें।

सरकार ने इस मामले में कृषि एवं सहकारिता विभाग से विचार विमर्श किया है और वे एतदद्वारा स्पष्ट करते हैं कि दोनों प्रकार के बीज ''प्रमाणित बीज या सही ढंग से लेबल किये गये बीज'' आदेशानुसार जीओएमएस संख्या 604 राजस्व (एस) विभाग दिनांकित 09.04.1981 तथा जीओएमएस संख्या 129 राजस्व (सीटी 11) विभाग दिनांकित 14.02.1989 द्वारा जो कृषि प्रयोजनों के लिए बेचे जाते हैं, देय कर से छूट प्राप्त है।''

10. बीज नियम 1968 का नियम 7 संक्षेप में निम्न प्रकार है -

नियम 7 - अंकन या लेबलिंग के लिए जिम्मेदारी -

जब एक अधिसूचित प्रकार या किस्म का बीज नियम 7 के अन्तर्गत बेचने के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो प्रत्येक कन्टीनर को यहां दिये गये विशिष्ट तरीके से चिन्हित व लेबल किया जाएगा। वह व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम चिन्ह या लेबल पर दिखाई देता है, वही चिन्ह या लेबल पर दिखाई देने वाली आवश्यक जानकारी सटीकता के संबंध में जिम्मेदार होगा जब तक कि बीज बंद कंटेनर में निहित है।

यद्यपि ऐसा व्यक्ति अंकन या लेबल पर प्रकट कथनों की सटीकता के संबंध में जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बीज को मूल/वास्तविक बंद कंटेनर से हटाया गया है या ऐसा व्यक्ति मार्क या लेबल पर इंगित की गयी

वैधता की तारीख के पश्चात अंकुरण के कथनों की सटीकता के संबंध में भी जिम्मेदार नहीं होगा।

11. दिनांकित 26.04.1994 के स्पष्टीकरण ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि दो विकल्प उपलब्ध हैं जो या तो प्रमाणित हैं या सही रूप से लेबल किये गये हैं। 'प्रमाणित बीज' को बीज अधिनियम 1966 (संक्षेप में 'बीज अधिनियम') की धारा 09 में परिभाषित किया गया है। इस संदर्भ में प्रमाणित बीजों से संबंधित नियमों के नियम 2 (ई) में भी उल्लेख किया गया है।

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रमाणित बीजों की बिक्री के संबंध में कोई दावा नहीं किया गया था, जो नियम 7 के अंकन या लेबलिंग से संबंधित है।

13. ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण इस आधार पर आगे बढा कि छूट पात्रता के प्रयोजन से बीज प्रमाणित व सही रूप से लेबल किये गये हैं। वास्तव में जैसा कि स्पष्टीकरण ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे विकल्पों में हैं।

14. उच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्टीकण ज्ञापन को नजरंदाज करते हुए उसी आधार पर आगे कार्यवाही की है।

15. ऐसी परिस्थितियों में, अधिकरण के लिए स्पष्टीकरण ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक पहलू की जांच करना उचित होगा, पक्षकार नये साक्ष्य पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अपीलकर्ता यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि बीज पर सही लेबल लगाया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारी डीलर से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह इस शर्त को पूरा करे कि बीजों पर सही लेबल लगा हो, ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। दावे की स्वीकार्यता के बारे में संतुष्ट होने के लिए वे निर्धारिती से दावे को उचित ठहराने की मांग कर सकते हैं और वह छूट का हकदार है।

16. उपरोक्तानुसार अपील बिना खर्चे के स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गोपाल सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।